न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर.ए.एस.
विविध प्रकरण संख्या : 24 / 2019
RCMS No-2019/00074

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
श्री दिलीपसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली		सुरेन्द्र अरोडा पुत्र श्री द्वारका प्रसाद, मैसर्स– बालाजी स्वीट्स होम, अस्पताल के पास जोधपुर रोड़, जैतारण जिला पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006

उपस्थित :–

1. श्री दिलीपसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
2. अप्रार्थी उपस्थित

–: निर्णय :–

दिनांक 29/7/2019

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने नियत तारीख पेशी को उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को स्वीकार किया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली के पद पर पदस्थापित है। दिनांक 01.11.2018 को प्रार्थी ने दौराने गश्त अप्रार्थी की फर्म से खाद्य पदार्थ सोनपपड़ी वनस्पति घी से निर्मित को वास्ते जांच हेतु क्रय कर, उक्त क्रयसुदा दो किलोग्राम सोनपपड़ी को चार भागों में विभक्त कर चार शिशियों में भरकर लेबल तैयार कर कोड व सिरियल नम्बर आर–841 अंकित किया एवं नमूना का विवरण अंकित कर मोका फर्द तैयार की गई, जिस पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर है। उक्त सीलबन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन में प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना सोनपपड़ी वनस्पति घी से निर्मित को sub-standard का पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा sub-standard खाद्य पदार्थ सोनपपड़ी वनस्पति घी से निर्मित का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अप्रार्थी ने निवेदन किया कि उक्त सामग्री का अप्रार्थी द्वारा न तो निर्माण किया जाता है एवं न ही भण्डारण किया जाता हैं। इस सामग्री को अप्रार्थी द्वारा क्रय किया गया है, जिसका बिल गुम हो जाने से वह पेश नहीं कर सका। चूंकि अप्रार्थी द्वारा उक्त सामग्री का निर्माण ही नहीं किया गया, इस कारण मानक स्तरीय कमियों के लिए अप्रार्थी दोषी नहीं हैं। अप्रार्थी द्वारा मात्र उक्त सामग्री क्रय की जाकर विक्रय हेतु रखी गई थी, इसके अतिरिक्त अप्रार्थी किसी भी रूप में दोषी

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

नहीं हैं। अतः न्यूनतम जुर्माना अधिरोपित करते हुए प्रकरण को समाप्त कराने का निवेदन किया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 01.11.2018 को अप्रार्थी की फर्म से सोनपपड़ी वनस्पति घी से निर्मित को क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर–841 अंकित कर सीलबन्द किया गया तथा नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट क्रमांक/एल.एस./892/एक्ट/2018/911 दिनांक 21.12.2018 के अनुसार उक्त नमूना कोड संख्या आर–841 को अवमानक स्तर का माना है। अप्रार्थी द्वारा यह कथन किया गया है कि उक्त सामग्री उसके द्वारा निर्मित नहीं है, मात्र क्रय कर विक्रय किया जा रहा हैं। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा Sub-standard सोनपपड़ी का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी है। चूंकि उक्त सामग्री अप्रार्थी द्वारा निर्मित नहीं है तथा अप्रार्थी द्वारा उक्त सामग्री का विक्रय किया जा रहा था, इस कारण अधिनियम की धारा 49 को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जाना विधि सम्मत प्रतीत होता हैं।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) (2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा Sub-standard खाद्य सामग्री वनस्पति घी से निर्मित सोनपपड़ी का विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी पर 5,000/– अक्षरे पांच हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही प्रार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि अप्रार्थी से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपी अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 29/3/2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली